प्रश्न:- किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ऐसी उद्घोषणा के लागू रहने तक, इसके अनुसरण के क्या-क्या परिणाम होते हैं?

भारतीय संविधान के भाग-18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख किया गया है। इन प्रावधानों का इस्तेमाल तब किया जाता है जब देश आंतरिक बाह्य या आर्थिक रूप से किसी खतरे की आशंका हो।

संविधान में तीन तरह के आपातकाल का प्रावधान है-

↳ राष्ट्रीय आपातकाल (अनु०-352)

↳ राष्ट्रपति शासन (अनु०-356)

↳ वित्तीय आपात (अनु०-360)

वित्तीय आपात

हलांकि अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल का प्रयोग नहीं किया गया है लेकिन संविधान में इसे अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। अनु०-360 के अंतर्गत राष्ट्रपति आर्थिक आपात की उद्घोषणा तब कर सकता है जब उसे एहसास हो जाए कि देश में ऐसा आर्थिक संकट बना हुआ है, जिसके कारण देश के वित्तीय स्थायित्व अथवा साख को खतरा है।

राष्ट्रपति द्वितीय उद्घोषणा करके इसे रद्द भी कर सकता है। यह उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी और यदि संसद की स्वीकृति नहीं मिलती है तो यह दो माह तक लागू रहेगी। यदि यह उद्घोषणा उस समय की गई है जब लोकसभा के भंग होने के

पूर्व स्वीकृति न दी है, तो युद्ध अथवा आंतरिक अशांति के लिए निर्धारित व्यवस्था प्रभाव में रहेगी।

संसद की एक बार अनुमति प्राप्त हो जाने के पश्चात यह आपातकाल तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न ले लिया जाय। इस प्रकार इसकी अधिकतर सीमा निश्चित नहीं की गई है। संसद की मंजूरी के बिना भी इसे राष्ट्रपति वापस ले सकता है।

38वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया कि राष्ट्रपति की घोषणा और संतुष्टि इस सम्बन्ध में अंतिम और निर्णायक है जिन्हें अज्ञेय नहीं है। 1978 में 44वें संशोधन द्वारा यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसे निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

परिणाम :-

↳ आम नागरिकों के पैसों और संपत्ति पर देश का अधिकार हो जाएगा।

↳ केन्द्र को राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। राज्य की समस्त वित्तीय शक्तियाँ केन्द्र के नियंत्रण में आ जाएंगी।

↳ राष्ट्रपति समस्त सरकारी कर्मचारियों के वेतन-भत्ते आदि में कटौती कर सकेगा।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वित्तीय आपात की घोषणा होने पर केंद्र को अनेकों शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं लेकिन ये अनन्य/असीमित नहीं होती हैं।

Q. किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ऐसे उद्घोषणा के लागू रहने तक, इसके अनुसरण के क्या-2 परिणाम हो सकते हैं?

Ans भारतीय संविधान के भाग- XVIII में अनु. 352-60 तक आपातकालीन उपबन्धो का प्रावधान है, जो संघ को किसी विकटात्मक स्थिति से निपटने के लिए प्रदायित है तथा उनका उद्देश्य देश एकता, अखण्डता व सम्प्रभुता की रक्षा करना है।

इसी के अन्तर्गत अनु. 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा की शक्ति देता है, यदि वह सन्तुष्ट हो कि देश या इसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में है।

→ वित्तीय आपातकाल की घोषणा :-

इस आपातकाल की घोषणा करने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत (अर्थात् उपस्थिति सदस्यो के मतदान का बहुमत) पारित किया जा सकता है।

घोषित तिथि (आपातकाल के) के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति अनिवार्य है, लेकिन एकबार संसदीय मंजुरी के बाद इसे अनिश्चितकाल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है-

अर्थात्
- संविधान में अधिकतम सीमा निर्धारित नही
- जारी रखने के संसद की पुनः मंजुरी आवश्यक नही।

राष्ट्रपति किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा वापस ली जा सकती है।

वित्तीय आपातकाल के प्रभाव :-

1. केंद्र की आधिकारिक कार्यकारिणी का विस्तार
   ↳ राज्य को वित्तीय औचित्यों संबंधी निर्देश।

2. (i) राज्य की सेवा में सभी वर्गों के सेवकों के वेतन-भत्तों में कटौती।
   (ii) राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानसभा के द्वारा पारित सभी (धन विधेयक सहित) विधेयकों को आरक्षित रखना।

3. (i) केंद्र की सेवा में लगे सेवकों में वेतन-भत्तों में कटौती।
   (ii) उच्चतम-न्यायालय एवं उच्च-न्यायालय के सभी वेतन-भत्तों में कटौती।

अर्थात् वित्तीय आपातकाल में राज्य के सभी वित्तीय स्त्रोतों / मामलों पर केंद्र का नियंत्रण होता है।

इसके सम्बन्ध में "हृदयनाथ कुंजरू" ने कहा था :- "वित्तीय आपातकाल राज्य के वित्तीय स्वायत्तता के लिए गंभीर खतरा है"

अन्ततः संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार जहाँ संघ की अखंडता, एकता व सम्प्रभुता के उपासक है, लेकिन इनका प्रयोग बाहरी दबाव, हठधर्मिता तथा असंवैधानिक आधार पर करना लोकतांत्रिक प्रणाली का हनन करना है।

Teacher's Signature.